भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3466
17 दिसम्बर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव

3466. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चक्रवात बिपरजॉय, लू और बढ़ते तापमान के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी आकलन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार जलवायु परिवर्तन की स्थिति से निपटने और कृषि को सुदृढ़ करने के लिए कोई उपाय कर रही है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ख): चक्रवात और हीटवेव सहित किसी भी आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुई फसलों के बारे में डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। तथापि, गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, चक्रवात बिपरजॉय, 2023 के कारण 33% और उससे अधिक तक 1,13,358 हेक्टेयर फसली क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

(ग): 2023 में युनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) को रिपोर्ट किए गए भारत के तीसरे राष्ट्रीय पत्राचार में बताया गया है कि भारत जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों का अनुभव कर रहा है।

(घ) से (ङ): सरकार ने 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) की स्थापना की, जो देश में जलवायु कार्रवाई के लिए एक व्यापक नीतिगत फ्रेमवर्क प्रदान करती है। एनएपीसीसी देश को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने और पारिस्थितिक स्थिरता को बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति की रूपरेखा तैयार करती है। एनएपीसीसी के तहत राष्ट्रीय मिशनों में से एक राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) है जो कृषि को बदलती जलवायु के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए रणनीतियों को विकसित और कार्यान्वित करता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए) नामक एक प्रमुख नेटवर्क परियोजना शुरू की है। यह परियोजना फसलों, पशुधन, बागवानी और मत्स्य पालन सहित कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन करती है और देश के संवेदनशील क्षेत्रों के लिए कृषि में जलवायु अनुकूल तकनीकों का विकास और प्रचार भी करती है। परियोजना के ये परिणाम सूखे, बाढ़, पाला, हीटवेव आदि जैसी चरम मौसमी परिस्थितियों से निपटने में इन क्षेत्रों की मदद करते हैं। पिछले 10 वर्षों (2014-2024) के दौरान, आईसीएआर द्वारा कुल 2593 किस्में जारी की गई हैं, इनमें से 2177 किस्में एक या अधिक जैविक और/या अजैविक दबावों के प्रति

सहनशील पाई गई हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी प्रोटोकॉल पैनल (आईपीसीसी) के अनुसार 651 मुख्य कृषि जिलों के लिए जिला स्तर पर जलवायु परिवर्तन के लिए कृषि के जोखिम और संवेदनशीलता का आकलन किया गया है। संवेदनशील के रूप में पहचाने गए 310 जिलों में से 109 जिलों को 'बहुत अधिक' और 201 जिलों को 'अत्यधिक संवेदनशील' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन 651 जिलों के लिए जिला कृषि आकस्मिकता योजनाएँ (डीएसीपी) भी तैयार की गई हैं, ताकि मौसम संबंधी असामान्यताओं को दूर किया जा सके और राज्य कृषि विभागों द्वारा उपयोग के लिए स्थान-विशिष्ट जलवायु अनुकुल फसलों और किस्मों और प्रबंधन पद्धतियों की सिफारिश की जा सके। जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति किसानों की अनुकूलता और अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए, एनआईसीआरए के तहत "जलवायु अनुकूल गाँव" (सीआरवी) की अवधारणा शुरू की गई है। किसानों द्वारा अपनाने के लिए 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए 151 जलवायु संवेदनशील जिलों के 448 सीआरवी में स्थान-विशिष्ट जलवायु अनुकूल तकनीकों का प्रदर्शन किया गया है। आईसीएआर अपनी एनआईसीआरए परियोजना के माध्यम से किसानों के बीच कृषि में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करता है।

जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से अपनाने के लिए किसानों को जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित करने के लिए क्षमता वर्धन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं । प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से जल उपयोग दक्षता में सुधार करती है। वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी) योजना उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) पर ध्यान केंद्रित करती है। समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), कृषि वानिकी और राष्ट्रीय बांस मिशन का उद्देश्य भी कृषि में जलवायु अनुकूलन बढ़ाना है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के साथ-साथ मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाली फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को फसल की बरबादी होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है ।

*****